



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175066

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29249 वर्ष 2026

बॉबी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: विकास चन्द्र तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चन्द्र तिवारी तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आशुतोष सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 221 वर्ष 2026, धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. तथा धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनादाता के पति की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान आवेदक को उसकी सी.डी.आर. के आधार पर अभियुक्त बनाया गया, क्योंकि सी.डी.आर. के अनुसार उसकी लोकेशन उस स्थान के निकट पाई गई, जहां मृतक का शव बरामद हुआ था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक की सी.डी.आर. तथा पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान के अतिरिक्त, अभियोजन के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया, तब उसकी निशानदेही पर एक देशी तमंचा बरामद किया गया, किंतु आज तक कथित रूप से बरामद देशी तमंचे का वर्तमान अपराध से संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर केवल सी.डी.आर. के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक की हत्या की थी।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के पश्चात, सह-आरोपी गौरव को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है तथा उसके जमानत आदेश को पेपर बुक के पृष्ठ 86 पर संलग्न किया गया है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 20.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक को अन्य सह-आरोपियों के साथ सी.डी.आर. के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है और इसके अतिरिक्त, अभियोजन के अनुसार उसके कब्जे से एक देशी तमंचा भी बरामद किया गया था, किंतु आज तक कथित रूप से बरामद देशी तमंचे का वर्तमान अपराध से संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।
10. आगे, सी.डी.आर. से भी प्रथम दृष्टया आवेदक की संलिप्तता प्रकट नहीं हो सकी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. आगे, सह-आरोपी गौरव, जिसे आवेदक के साथ वर्तमान मामले में उसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बनाया गया था, को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
12. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 20.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
13. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
15. आवेदक-**बॉबी** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”